नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

# दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे ॰ डी ॰ - 91/759 - - पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियस, श्वारा 4 की उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली ग्रन्य सभी शक्तियों का प्रयोग हरियाणा के राज्यपाल नीवे दी गई श्रीर इससे सलग्न नक्शे में दर्शायी गई श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट के श्रनुसार गांव क्रेप्राथिमक विद्यालय, जिला फरीदाबाद के ग्रासपास के क्षेत्र को उक्त ऋधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र र्गावत करते हैं :-

### अन्बन्ध

जिला फरी दावाद के गांव बालमपुर में प्राथिम क विद्यालय के बासपास के ब्रितिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को डाईंग संख्या. डी॰टी॰पी॰ (एफ) . 1224/90, दिनांक 20 फरवरी, 1990 के साथ पढ़ा जाए ।

### ग्रन्सूची

नुक्शे पर ग्रंकित बिन्दु "बी" से लेकर जहां ग्रधिमुचना संख्या ए-66/जे ०डी ०-89/1972, दिनांक 3 फरवरी, 1989 द्वारा गांव आलमपुर के प्राथमिक विद्यालय के आसपास घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा, गांव आलमपुर की उत्तरी सीमा से मिलती है, उसके बाद उसी गांव की उत्तरी राजस्व सीमा .कं साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ग्रीर विन्दु "ई" तक जो गांव ग्रालमपुर, टीकरी खेड़ा ग्रीर धीज का सीमा बिन्दु है।

उसके बाद गांव ग्रालमपुर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ग्रोर बिन्दू "डी" तक जहां यह उसी गांव की . दक्षिणी सीमा से मिलता है।

उसके वाद गांव ग्रालमपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ग्रोर विन्दु "सी" तक जहां यह गांव ग्रालमपुर के प्राथमिक विद्यालय के आसपास पहले ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा से मिलती है।

उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की ग्रोर बिन्दु "बी" तक ग्रर्थात् ग्रारम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

ग्रायक्त एवं सचिवं, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम ग्रायोजनां विभाग।

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### Notification

### The 22nd January, 1991

No. JD-91/759.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (b) of section 1 of tuniab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the onal area around Primary School, village Alampur, district Faridabad as specified in the district of boundaries given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled for the purposes of the said Act, namely:—

#### ANNEXURE

schedule of boundaries of the additional controlled area around Primary School, village district Faridabad to be read with the Drawing No. DTP (F) 1224, dated the 20th February,